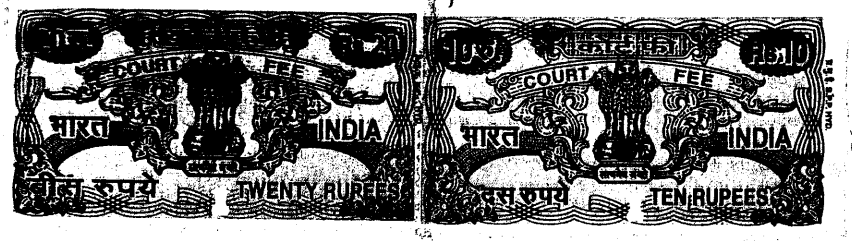

-1-

24

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध प्र0क0 विविध 9042- I-17

नवीन कुमार सरोते पिता राजेन्द्र सरोते
निवासी 30 क्वाटर, दुर्गा कॉलोनी,
गढ़ा जबलुर म0प्र0 ---- आवेदक

दिनांक 2-2-17 को श्री चार्वीक चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत।

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ----- अनावेदकगण

2-2-17

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 3226–एक / 16 में पारित आदेश दिनाक 21–9–16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कमांक 3 में वृद्धि बावत)

02/02/17

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्र0क0 3226–एक / 16 में दिनांक 21–9–16 को आदेश पारित करते हुए आवेदक को शर्तो के साथ भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई है ।

2. यहकि, आदेश की शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।

3. यहकि, अनुमति मिलने के उपरांत आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित हुआ परंतु उप पंजीयक द्वारा यह कहकर कि जिलाध्यक्ष द्वारा दोगुनी राशि जमा होने के उपरांत ही विकयपत्र का निष्पादन किया जायेगा । उक्त कारण से इस न्यायालय द्वारा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध 9042-एक/17 जिला - उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-2-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला उपस्थित । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर उभयपक्षों के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3226-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4-9-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उप पंजीयक द्वारा कहा गया कि क्रेता द्वारा बाजार मूल्य की राशि की दुगनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । उनके द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा दोगुनी राशि देने में असमर्थता व्यक्त की गई है । उक्त कारण से इस न्यायालय द्वारा निर्धारित 4 माह की समयावधि में विक्रयपत्र का निष्पादन नहीं कराया जा सका है और उक्त अवधि दिनांक 20-1-17 को संमाप्त हो गई है । उनके द्वारा यह बताया गया कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय हेतु अनुबंध 4 व्यक्तियों से संयुक्त रूप से किया जाकर विक्रय हेतु अनुमति चाही गई थी परंतु अब उनमें से कुछ व्यक्तियों ने दोगुनी राशि देने में अमर्थता व्यक्त की है । एक व्यक्ति श्री मुकेश कुशवाहा पिता रामाश्रय पटेल राशि देने में सहमत है । अतः पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए श्री मुकेश कुशवाहा को आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने एवं 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक को इस न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 निग0 3226-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4-9-16 के अनुक्रम में आवेदक को आवेदित भूमि को मुकेश कुशवाहा पिता रामाश्रय पटेल को विक्रय करने की अनुमति दी जाती है तथा में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है । प्रकरण तद्नुसार निराकृत किया जाता है । सदस्य	6-2-17